

फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अज्ञान

किशनसिंह बनाम् दर्शनसिंह वगैरह

प्रकरण अन्तर्गत धारा 53 88 188 209 92(ए) आर.टी.एक्ट

प्रकरण सं.-05 सन् 2026

जी.सी.एम.एस नं.-2026/4

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गये इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर / दिनांक
08.01.2026	<p>आज वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 88 188 209 92(ए) आर.टी.एक्ट के तहत पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब करके पत्रावली आईन्दा दिनांक 03.02.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	
3/2/26	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वादी वकील नावी सुबु वास्तु तलबी आईन्दा दिनांक 11/2/26 पेश हो</p>	
11/2/26	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 17/2/26 को पेश हो।</p>	
17/2/26	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/2/26 को पेश हो।</p>	
24/2/26	<p>फावली प्रस्तुत/वादी वकील नावी सुबु की तलबी हेतु पुनः तलबासा रकित सम्मत पेश हो फावली दिनांक 19/3/26 को पेश हो</p>	

19/3/26 पत्रावली प्रस्तुत वारी वारी
 के कसिड डाड रसीद फेर डी।
 प्राणित प्रिस्ट र डी पत्रावली दिनांक
 10/4/26 से फेर डी

10/4/26

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप.
 श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
 भतः पत्रावली आईन्दा दिनांक. 6.5/26
 से फेर डी।

6/5/26

पत्रावली प्रस्तुत | वकील वारी कागजी वारी
 फेर डी प्र Delivery Report फेर डी पत्रावली
 के फेर डी दिनांक 25/5/26 से फेर डी

25/5/26

पत्रावली प्रस्तुत वकील वारी इरुग - पापालाफ
 के डाप का - का कावाजे लगाने के काफूड
 ना तो वारी ना वकील वारी कापाकाफ - डे
 (क) इपत्तिल हुसा कला वाड-वारी कला हाजिरे
 फेर डी से खारिज किया जाना है। पत्रावली
 निम्नलिखित दिनांक दिनांक नं. से फेर डी

सुरेश राव
 उपखण्ड अधिकारी
 अनुपगढ़